14.11.19 | पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य, वाँछित अनुतोष, जवाब अप्रार्थी तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के सुसंगत प्रावधानों के प्रक्रम में सम्यक विधि संगत विचार किया।

प्रार्थी द्वारा ग्राम सातलखेड़ी की भूमि हाल खसरा नम्बर 211, 212, 224, 226, 227, 228, 231, 233 की भूमियों की किस्म गैर मुमकिन खाल के स्थान पर गैर मुमकिन खान दुरुस्त करवाना चाहते है।

इस क्रम में अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। जवाब में अप्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र के तथ्यों को स्वयं सिद्ध करने के कथन किये है।

14/11/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्ब नकल जमाबंदी वाके माह मौजा साल खेडी संवत 2016-2019 में खसरा नम्बर 160, 161, 169, 171, 172, 173, 176, 183, 178 राजकीय भूमि सिवाय चक लगानी दर्ज है उक्त भूमि कृषि के अयोग्य भूमि के निम्न में दर्ज थी उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन खान दर्ज थी। हस्ब फर्द मिलान साबिक ख.नं. 160, 161, 169, 171, 172, 173, 176, व 183 के हाल ख.नं. 211, 212, 224, 226, 227, 228, 231, व 233 फैसल किये गये थी। उक्त हाल खसरा नम्बर सिवाय चक सरकार के खाते में दर्ज किये गये थी जमाबंदी बन्दोबस्त व हाल रिकार्ड में उक्त भूमि सिवाय चक खाते में दर्ज थी भूमि की किस्म गैर मुमकिन खान दर्ज थी। पूर्व रिकार्ड जमाबंदी सं० 2036-39 व 2040-44 में भी उक्त भूमि गै.मु. खान ही दर्ज रही थी संवत 2046 तक उक्त भूमि गैर मुमकिन खान दर्ज रही थी। बन्दोबस्त सन् 2004-2024 में इस भूमि अर्थात इन खसरा नम्बरान को गैर मुमकिन खान दर्ज कर दिया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि के संबंध में रिकार्ड में परिवर्तन का अधिकार अर्थात रिकार्ड में दुरुस्ती के प्रा० पत्र प्रस्तुती का अधिकार प्रथम उत्तरया अप्रार्थी का है, न कि प्रार्थी का। प्रार्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहा कि भूमि मौके पर गैर मुमकिन खाल के रूप में नहीं होकर गैर मुमकिन खान हो। या खाल अर्थात पानी बहने की प्राकृतिक प्रवाह के रूप में कार्य नहीं आ रही हो। प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा दुरुस्ती बाबत - स्वीकार नहीं किया है अर्थात अप्रार्थी द्वारा जवाब में प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर अनापत्ति जाहिर नहीं की है जो कि धारा 136 L.R. Act 1956 का एक अहम महत्वपूर्ण पहलू है प्रथम तो प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र	

14/11/14

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पेश करने का अनुमति अप्रार्थी श्री इमि में कुर्सी का प्रथमतया अधिकार नहीं थे/ द्वितीय कुर्सी हेतु हितबद्ध पक्षकार की स्वीकृति आवश्यक थी प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा 136 के अन्तर्गत गठन नहीं होता थी, अतः प्रा० पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेखभण्डार हो निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विखुला न्यायालय में सुनाया। 14/11/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	